बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

-----

**आदेश**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री सत्येन्द्र तिवारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज जिनका स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना संख्या 4099 दिनांक 03.07.2012 द्वारा मझौलिया, प0 चम्पारण किया गया था, को बार-बार निदेश दिये जाने एवं एक वर्ष के बाद भी पुराने स्थान पर बने रहने के फलस्वरूप सरकार के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण प्रमण्डल, सारण निर्धारित किया जाता है ।

3. श्री तिवारी के विरूद्ध प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित ज्ञाप अलग से निर्गत किया जायेगा ।

(सत्य प्रकाश)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-प्र08गो0नि0 गोपालगंज-19/2013 3547 /खाद्य,पटना/दिनांक 7.6.2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला पदाधिकरी, प0 चम्पारण/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज एवं प0 चम्पारण/संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी /प्रशाखा पदाधिकारी-03/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री सत्येन्द्र तिवारी, निलम्बित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही निलम्बित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्धारित मुख्यालय में योगदान करने हेतु विरमित करने की कृपा की जाय ।

विशेष कार्य पदाधिकारी।